

पत्रावली पेश हुई / पीठासीन अधिकारी
राजस्व कार्य में व्यर्थ होने, मौका रिपोर्ट प्रस्तुत
/ अतः पत्रावली संलग्न पत्रावली की गई।
दिनांक 20/3/15 को पेश हो।

15 अथवा (पत्रावली)

1. आज्ञा है

20/3/15
बकुलाय पक्षकारान उपस्थित / पीठासीन
अधिकारी जनशुभार में होने से
प्रकरण दि. 12/4/15 को पेश हो।

16 सिद्धांत

17/4/15
बकुलाय पक्षकारान उपस्थित / पीठासीन
अधिकारी जनशुभार में होने से
प्रकरण दि. 22/4/15 को पेश हो।

17 अथवा

27/5
पत्रावली आज राजस्व लेख अहकामता / उच्च
कोर्ट आगे चल कर न्यायालय पर पेश हुई।
पक्षकारान उपस्थित / पक्षकारान द्वारा सुकल
में राजीनामा पेश इत सिवेदन किया कि
राज वसुधाराग के बीच आयसी राजीनामा को
मुहता है। वाहीगल का वह साद्वि सुच्यना
स्वीकार किया जाता है। जो स्व सुविवादी
का कोर्ट आगे चली गयी है। अतः उपर्युक्त राजीनामा
अनुसार वाही का वह स्वीकार किया जाता
है एवं मौजा न्यायालय पत्वारियों न्यायालय
सहलीय होकर ही जमावली संख्या 2064 से
2067 के खाता संख्या 156 में वर्गीकृत भूखण्ड
किसा 25 कुल रकबा 13-19 बीघा में आरजी

18 सुकल

19 अथवा



20 अथवा

नम्बरा	1280	1286	1288	1289	1290
	0-11	0-17	0-09	0-12	0-07
	1291	1292	1293	1297	1314
	0-04	0-04	1-05	0-09	0-12
	1315				
	0-09				

1324, 1325, 1356, 1378 किला 15 इंच
0-04, 0-11, 0-06, 1-01
रकबा 8-01 बीघा भूमि का आदिवाही संख्या
1 से 3 विनिमा, मोटा फुडु किला राम चंद

आरजी नम्बर	1354	1299	1366	1367
	0-08	0-16	0-13	0-03
	1352/1	1323/1	1357/1	
	0-07	0-13	0-05	

किला 7 रकबा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तामील
	<p> एवं आदेशी नम्बर $\frac{1353}{0-10}$, $\frac{1281}{0-13}$, $\frac{1282}{0-05}$, $\frac{1352/2}{0-07}$, $\frac{1357/2}{0-05}$, $\frac{1323/2}{0-13}$ खिला 6 रबुका 2-13 बीघा का वाली संख्या हो व लीन सादुगा, चुनिया घिला जीधिया डो खालेवा वरलंडा छोपील विषा आसावड पगाकी सिधिले होड संख्या से इम हो। निर्णय हुआथा 22/1/8 </p> <p>  सदस्य लोक अदालत, कोटड़ा </p> <p>  उपखण्ड अधिकारी कोटड़ा (जिला उदयपुर) </p>	

॥ ६

7

4

2

2

डिक्री व मुकद्दमें इबतदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी योगुन्दा जिला उदयपुर

नीवासीन अधिकारी श्री सत्यनारायण झाचार्य (RAS) कोटडा

मुकदमा 1411 सन् सीगह


श्री सिंगिया पिता अणुदा गजेती बनाम विजिया पिता रामचंद्र गजेती
वेरा कातरा वगैरह माँदा, फकु पिता रामचंद्र
निं- वेरा कातरा

दावा बाबत 88 RT Act.

यह मुकद्दमा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने श्री सत्यनारायण झाचार्य के समक्ष प्रस्तुत हुआ।
वादी की ओर से वकील श्री वादी प्रतिवादी स्वयं प्रतिवादी की ओर से वकील
की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

माँदा न्यायान
प्राचाट हॉट, न्यायान तहसील कोटडा की जमाबंदी सेवत 2064
से 2067 के खाता संख्या 156 में वर्णित आराजियात किला
25 कुल रकबा 13.14 बीघा में आराजी नम्बर 1280, 1281, 1288
1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1297, 1314, 1315, 1324
0.12, 0.07, 0.04, 0.04, 1.05, 0.04, 0.12, 0.09, 0.04,
356, 1378 किला 13 कुल रकबा 8.01 बीघा शक्ति का उत्ति
0.06, 0.01 संख्या 1 से 3 विजिया, माँदा, फकु पिता रामचंद्र
1254, 1294, 1366, 1367, 1352/1, 1323/1, 1357/1 किला 7 रक
0.08, 0.16, 0.13, 0.03, 0.07, 0.13, 0.05
3.05 बीघा शक्ति का वादी सिंगिया पिता अणुदा उप आणन
281, 1282, 1352/2, 1357/2, 1323/2 किला 6 रकबा 2.13
0.13, 0.05, 0.07, 0.05, 0.13
का वादी संख्या के वहीन कातरा, सुजिया पिता जीविका के खातेदार
पर इस वाद के खर्चे लेखे रुपये की राशि जोषित किया जाये
वसूली की तारीख तक उस पर प्रतिशत की दर से ब्याज सहित
रा को दी जाये।

यह आज तारीख 27 मार 06 सन् 2015 को
से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।


सदस्य
लोक अदालत, कोटडा

(इस उन् झाचार्य)
हस्ताक्षर न्यायाधीश
उपखण्ड अधिकारी
पद कोटडा (जिला उदयपुर)

वाद के खर्चे

वादी	रुपये	पैसे	प्रतिवादी	रुपये	पैसे
वाद पत्र के लिये स्टाम्प स्टाम्प वकालात नामा प्रदर्शों के लिये स्टाम्प महनताना वकील) पर खर्चा गवाह फीस कमिश्नर आदेशित की तामील विविध खर्चे			स्टाम्प प्रार्थना पत्र स्टाम्प वकालात नामा प्रदर्शों के लिये स्टाम्प महनताना वकील) पर खर्चा गवाह फीस कमिश्नर आदेशित की तामील विविध खर्चे		
योग			योग		